

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1978/आश्विन 6, 1900
No. 448] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1978/ASVINA 6, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this part in order that it may be filed
as a separate compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1978

का० आ० 579 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य
मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० 4/3/73-वक्फ, तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के साथ
पठित वक्फ अधिनियम 1954 (1954 का 29) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब वक्फ बोर्ड के परामर्श से श्री अखतर हुसैन (सेवा निवृत्त-जिला

मायाघीरा, उत्तर प्रदेश) को एतद्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड के सचिव के रूप में उनके उक्त कार्योंभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 4/2/74-वक्फ]

एस० हरिहर अरयर, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1978

S.O. 579(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. 4/3/73-Wakf, dated the 30th December, 1975, the Central Government, in consultation with the Punjab Wakf Board, hereby appoints Shri Akhtar Husain, (Retired District Judge, U.P.), as Secretary of the Punjab Wakf Board for a period of one year with effect from the date he assumes charge of that office.

[No. F. 4//74-Wakf]

S. HARIHARA IYER, Secy.